...य सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

...स्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 17/2018

दायर दिनांक – 16.04.2018

निर्णय दिनांक – 24.11.2021

जीसीएमएस नं0 – 2020/00037

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री गुलाब चन्द सोनी पुत्र श्री फूल चन्द सोनी जाति सोनी निवासी मकान नं0 165/23, महावीर मोहल्ला, केसरगंज, अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री एन0के0गोयल, अधि0, प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम नेडलिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि की वर्किंग जमाबन्दी के खाता सं0 108 खसरा नंबर 564 में प्रार्थी के खरीदशुदा जमीन के हक–हिस्से का इन्द्राज वर्तमान जमाबंदी में किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:48:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता के माध्यम से प्र...ना–...में प्रार्थी ने उल्लेख किया है कि ग्राम नेडलिया में स्थित आराजी का खाता सं0 108 ...खसरा सं0 564 में 1 बीघा 8 बिस्वा बारानी भूमि का खातेदार शक्ति सिंह पुत्र ...सिंह निवासी होटल वीरेन्द्र छोटी बस्ती पुष्कर है। विक्रेता ने उपरोक्त खसरा सं0 564 की भूमि में से 564/988 हिस्सा की

24.11.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

का विक्रय दिनांक 06.08.2012 को प्रार्थी गुलाब चन्द सोनी को जरिये विक्रय कर तथा पटवारी हल्का को साथ ले जाकर एक अन्य भूमि का कब्जा प्रार्थी को दे दिया जिसके चारों ओर प्रार्थी ने तार की बाड़ लगाकर कब्जा कर लिया।

विक्रेता ने प्रार्थी को पटवारी के साथ मिलकर जिस भूमि का कब्जा दिया था और निशानदेही दी थी वह भूमि फरवरी 2016 में नगर पालिका द्वारा कांटे की बाड़ को हटा कर कब्जे में ले ली गई और प्रार्थी द्वारा जानकारी करने पर बताया गया कि यह भूमि राजकीय भूमि है जिस पर नगरपालिका का अधिकार है। जानकारी होने पर प्रार्थी ने दिनांक 02.03.2016 को तहसीलदार, पुष्कर को निवेदन किया कि उसकी खातेदारी भूमि का इन्द्राज जमाबंदी में किया जाये पर और मौके पर निशानदेही दे दी जाये।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 13.06.2018 को प्रार्थी अभिभाषक के अनुपस्थित रहने के कारण प्रार्थना–पत्र को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थी अभि0 द्वारा दिनांक 15.06.2018 को प्रार्थना–पत्र वास्ते अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सीपीसी के तहत पेश किया, जिसे दिनांक 30.01.2019 को स्वीकार किया गया।

इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह. पुष्कर/कोर्ट/2021/2332 दिनांक 15.11.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि " ग्राम नेडलिया कि वर्किंग जमाबन्दी के खाता संख्या 108 में दर्ज खसरा नम्बर 564 रकबा 01–08–00 बीघा किस्म बा. 2 पर मोती कम्मा पि. किशना 1/8 हि. दल्ला वल्द हमीरा गमीरा मल्ला छीतर पि. भीया 1/8 हि. उदा काना पि. बज्जा 1/4 हि. चतरा वल्द कामड़ 1/4 हि. कालू काना अन्ना पि. दूला कौम रावत सा. देह खातेदार के नाम अंकन दर्ज है। सह खातेदार दल्ला वल्द हमीरा ने खसरा नम्बर 564 रकबा 01–08–00 बीघा में भूमि क्रय की जिसका अमल नामान्तरकरण संख्या 108 दिनांक 15.03.99 से गमीरा मल्ला, छीतर पि. भीया 3/32 हि. हजारी कालू पि. काना मजबूत मदन प्रेम दातार पि. छोगा [illegible] पि. दूदू लाला पि. उदा व कल्याणसिंह पि. छोटू शान्ति बेवा [illegible] मोहन अमरसिंह पि. करणसिंह 1/4 हि. कालू अन्ना पि. [illegible] 1/4 हि. के बजाय क्रेता दल्ला वल्द हमीरा 80/96 हि. अंकन स्वीकार हुआ। दल्ला वल्द हमीरा ने खसरा नम्बर 564 रकबा 01–08–00 बीघा मे से 10 बीस्वा भूमि क्रेता हरीप्रसाद शर्मा पुत्र पुष्करनारायण जाति ब्राहम्ण को विक्रय की जिसका अंकन नामान्तरकण संख्या 215 दिनांक 10.09.2003

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:48:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

जमाबन्दी में हो चुका है। तथा हरीप्रसाद शर्मा द्वारा उक्त भूमि तोषनीवाल इन्सड्रमेन्टस मैन्यूफैक्चर लि. गगवाना जिला अजमेर ने क्रय कीजिसका अंकन जरिये नामान्तरकरण संख्या 332 दिनांक 05.10.2005 को हो चुका है तथा तोषनीवाल इन्सड्रमेन्टस मैन्यूफैक्चर लि. गगवाना द्वारा खसरा नम्बर 564 रकबा 00–04–00 बीघा भूमि दल्ला पुत्र हमीरा से क्रय कि जिसका अंकन जरिये नामान्तरकण संख्या 337 द्वारा वर्किंग जमाबन्दी में हो चूका है। इस प्रकार दल्लासिंह पुत्र हमीरा ने अपने कुल हिस्सा 83/96 में से 48/96 हिस्से कि भूमि तोषनीवाल इन्सड्रमेन्टस मैन्यूफैक्चर लि. गगवाना को विक्रय कर दी थी तथा शेष हिस्सा 35/96 कि भूमि शक्ति पि. बाबूसिंह कौम राजपूत निवासी छोटी बस्ती पुष्कर को विक्रय कर दी थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 414 दिनांक 23.01.2007 को हो चुो था। शक्तिसिंह पुत्र बाबूसिंह द्वारा अपने हिस्से में से भूमि विक्रय की नामान्तरकरण संख्या 503 तस्दीक दिनांक 24.12.2008 जरिये बेचान से खसरा नम्बर 564 रकबा 01–08–00 बीघा किस्म बा.2 में विक्रेता शक्तिसिंह पुत्र बाबूसिह हि. 35/96 हि. के बजाय कैलाश कुमावत पुत्र श्री मोहनलाल कुमावत 32/988 हि. निवासी सन्तोषी माता की ढाणी पुष्कर व सूरजमल सैन पुत्र श्री मिठूलाल सैन 32/488 हि. नि. पुष्कर व विमलचन्द पुत्र मूलचन्द जाति जैन 64/988 हि. निवासी पुष्कर व कमल कमल किशोर पुत्र बंकटलाल रामावत जाति वैष्णव 64/988 हि. निवासी पुष्कर व श्रीमती किरणदेवी पत्नी नन्द किशोर जाति सैन 32/988 हि. निवासी लोहाखान अजमेर व शक्तिसिंह पुत्र बाबूसिंह का 764/988 हि. बदस्तूर रहा दर हि. कुल 35/96 हि. शेष इन्द्राज बदस्तूर रहा। तथा नामान्तरकरण संख्या 637 दिनांक 09.11.2012 बेचान से खसरा नम्बर 564 रकबा 01–08–00 बीघा में से विक्रेता शक्तिसिंह पुत्र बाबूसिंह के 764/988 में से क्रेता गुलाबचन्द सोनी पुत्र फूलचन्द सोनी नि. म.सं. 165/23 महावीर मौहल्ला केसरगंज अजमेर के नाम 564/988 हक व हिस्सा का अंकन स्वीकार हुआ। बाकी अंकन बदस्तूर रहा का अंकन वर्किंग जमाबन्दी में दर्ज है। ग्राम नेडलिया के मिलान क्षेत्रफल संवतृ 2065–84 के अनुसार मिलान निम्नानुसार बना है।

हाल		साबिक	
ख.न.	क्षैत्रफल	ख.न.	क्षैत्रफल
655/1298	0.23	564	0.23

ग्राम नेडलिया कि मिसल बन्दोबस्त संवत 2065 [illegible] खाता संख्या 53 में दर्ज खसरा संख्या 655/1298 रकबा 0.23 किस्म चाही प्रथम पत्नी छोटी पत्नी रतना, शैतान, हीरालाल सुखदेव पि. रतना नंगी पुत्री रतना पु. लाली बंधा [illegible] 1/8 कौम रावत निम्बासिंह वल्द छोटू 1/96 कौम रावत सा. देह खातेदार तोषनीवाल इन्सड्रमेन्टस मैन्यूफैक्चरींग प्रा.लि.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:48:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

83/96 हि. खातेदार का अंकन दर्ज है। तथा मिसल बन्दोबस्त से बनी आधार बन्दी में नामान्तरकण संख्या 385 दिनांक 21.08.2006 बैचान से लाली पत्नी कम्मा के स्थान पर भोली देवी पत्नी शैतान सोहनीदेवी पत्नी सुखदेव गीतादेवी पत्नी हीरालाल कौम रावत सा. देह के नाम अंकन स्वीकार हुआ शेष इन्द्राज बदस्तुर का अंकन दर्ज है। तथा जमाबन्दी संवत् 2070–2073 के खाता संख्या 86 में खसरा संख्या 655/1298 पर छोटी पत्नी रतना, नंगी पुत्र रतना के बजाय शैतान हीरालाल सुखदेव पि. रतना का अकन स्वीकार नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 20.05.14 का अंकन दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या 148 दिनांक 09.09.15 रहन से शैतान पुत्र रतना, भोली पत्नी शैतान जाति रावत का हिस्सा रहन पी.एन.बी शाखा पुष्कर के नाम अंकन दर्ज है तथा वर्तमान सेग्रिगेशन जमाबन्दी के खाता संख्या 86 में गीतादेवी पत्नी हीरालाल हिस्सा 1/48 जाति रावत, भोलीदेवी पत्नी शैतान हिस्सा 1/48, शैतान पुत्र रतना 1/48, सुखदेव पुत्र रतना हिस्सा 1/48, सीतादेवी पत्नी लक्ष्मण सिंह रावत हि. 1/48, सोहनीदेवी पत्नी सुखदेव हिस्सा 1/48, हीरालाल पुत्र रतना हि. 1/48 समस्त जाति रावत सा. देह खातेदार व तोषनीवाल इन्सड्रमेन्टस मैन्यूफैक्चरिंग प्रा. लि. गगवाना हि. 83/96 अजमेर खातेदार के नाम रास्व रिकार्ड में दर्ज है। अतः ग्राम नेडलिया कि वर्किंग जमाबन्दी के खाता संख्या 108 में दर्ज नामा. सं. 48 दिनांक 10.12.96, नामा. सं. 49 दिनांक 10.12.96, नामा. सं. 105 दिनांक 15.03.99, नामा. सं. 106 दिनांक 15.03.99, नामा. सं. 107 दिनांक 15.03.99, नामा. सं. 108 दिनांक 15.03.99, नामा. सं. 120 दिनांक 23.05.92, नामा. सं. 156 दिनांक 30.06.2000, नामा. सं. 215 दिनांक 10.09.2003, नामा. सं. 319 दिनांक 18.06.2005, नामा. सं. 322 दिनांक 05.10.2005, नामा. सं. 337 दिनांक 05.10.2005 नामा. सं. 385 दिनांक 21.08.2006, नामा. सं. 391 दिनांक 16.09.2006, नामा. सं. 414 दिनांक 23.01.2007, नामा. सं. 474 दिनांक 15.02.2008, नामा. सं. 503 दिनांक 24.12.2008, नामा. सं. 637 दिनांक 09.11.2012 तथा नामा. सं. 66 दिनांक 20.05.14, नामा. सं. 148 दिनांक 09.09.15, नामा. सं. 372 दिनांक 05.08.2021 के आधार वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज अंकन के स्थान पर निम्नानुसार अंकन किया जाना विधिसम्मत होगा।

1. गीतादेवी पत्नी हीरालाल हिस्सा 1/48 जाति रावत सा. देह खातेदार
2. तोषनीवाल इन्सड्रमेन्टस मैन्यूफैक्चरिंग प्रा.लि. गगवाना हि. 48/96 अजमेर खातेदार
3. भोली देवी पत्नी शैतान हिस्सा 1/48 जाति रावत सा. देह खातेदार
4. शैतान पुत्र रतना हिस्सा 1/48 जाति रावत सा. देह खातेदार
5. सुखदेव पुत्र रतना हिस्सा 1/48 जाति रावत सा. देह खातेदार
6. सीतादेवी पत्नी लक्ष्मणसिंह रावत हिस्सा 1/96 जाति रावत सा. देह खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:48:11 IST
Reason: SelfAttested

सोहनी देवी पत्नी सुखदेव हिस्सा 1/48 जाति रावत सा. देह खातेदार
8. हीरालाल पुत्र रतना हिस्सा 1/48 जाति रावत सा. देह खातेदार
9. कैलाश पुत्र मोहनलाल कुमावत 35/2964 हिस्सा जाति कुमावत सा. संतोषी माता की ढाणी पुष्कर खातेदार
10. सूरजमल सैन पुत्र श्री मिठूलाल सैन जाति सैन नि. पुष्कर हिस्सा 35/2964
11. विमलचन्द पुत्र मूलचन्द हिस्सा 35/1482 जाति जैन सा. पुष्कर
12. कमलकिशोर पुत्र बंकटलाल रामावत हिस्सा 35/1482 जाति वैष्णव नि. पुष्कर खातेदार
13. किरण देवी पत्नी नन्दकिशोर हिस्सा 35/2964 जाति सैन सा. लोहागन अजमेर खातेदार
14. गुलाबचन्द सोनी पुत्र फूलचन्द सोनी हिस्सा 1645/7904 जाति सोनी सा. म.नं. 165/23, महावीर मौहल्ला, केसरगंज अजमेर
15. शक्तिसिंह पुत्र बाबूसिंह हिस्सा 875/11856 जाति राजपूत सा. छोटी बस्ती पुष्कर खातेदार।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र/सहमति पत्र इत्यादि से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम नेडलिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्किंग जमाबन्दी के खाता सं0 108 खसरा नंबर 564 में प्रार्थी के खरीदशुदा जमीन के हक–हिस्से का इन्द्राज वर्तमान जमाबंदी में किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम नेडलिया तहसील पुष्कर के वर्किंग जमाबन्दी के खाता सं0 108 खसरा नंबर 564 के नवीन राजस्व जमाबंदी में दर्ज अंकन के [illegible] अनुसार अंकन किया जावें:–

1. गीतादेवी पत्नी हीरालाल हिस्सा 1/48 जाति [illegible] सा. देह खातेदार
2. तोषनीवाल इन्सट्रमेन्टस मैन्युफैक्चरिंग प्रा.लि. नागवाना हि. 48/96 अजमेर खातेदार
3. भोली देवी पत्नी शैतान हिस्सा 1/48 जाति रावत सा. देह खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram
Date: 2021.12.02 10:48:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

शैतान पुत्र रतना हिस्सा 1/48 जाति रावत सा. देह खातेदार
5. सुखदेव पुत्र रतना हिस्सा 1/48 जाति रावत सा. देह खातेदार
6. सीतादेवी पत्नी लक्ष्मणसिंह रावत हिस्सा 1/96 जाति रावत सा. देह खातेदार
7. सोहनी देवी पत्नी सुखदेव हिस्सा 1/48 जाति रावत सा. देह खातेदार
8. हीरालाल पुत्र रतना हिस्सा 1/48 जाति रावत सा. देह खातेदार
9. कैलाश पुत्र मोहनलाल कुमावत 35/2964 हिस्सा जाति कुमावत सा. संतोषी माता की ढाणी पुष्कर खातेदार
10. सूरजमल सैन पुत्र श्री मिठूलाल सैन जाति सैन नि. पुष्कर हिस्सा 35/2964
11. विमलचन्द पुत्र मूलचन्द हिस्सा 35/1482 जाति जैन सा. पुष्कर
12. कमलकिशोर पुत्र बंकटलाल रामावत हिस्सा 35/1482 जाति वैष्णव नि. पुष्कर खातेदार
13. किरण देवी पत्नी नन्दकिशोर हिस्सा 35/2964 जाति सैन सा. लोहागन अजमेर खातेदार
14. गुलाबचन्द सोनी पुत्र फूलचन्द सोनी हिस्सा 1645/7904 जाति सोनी सा. म.नं. 165/23, महावीर मौहल्ला, केसरगंज अजमेर
15. शक्तिसिंह पुत्र बाबूसिंह हिस्सा 875/11856 जाति राजपूत सा. छोटी बस्ती पुष्कर खातेदार।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

24.11.21

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:48:11 IST
Reason: SelfAttested